Regd. No. CHD/0093/2009-2011

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2011
(PHALGUNA 5, 1932 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th February, 2011

No. 1—HLA of 2011/9.—The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2011, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 1—HLA of 2011

THE HARYANA LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2011

A

BILL

further to amend the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2011.

(2) The provisions of section 12 of this Act shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force with effect from the 7th September, 2010.

Amendment of long title of Haryana Act 2 of 1975.

2. In the long title of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975 (hereinafter called the principal Act), for the brackets and words "(Allowances and Pension of Members)", the brackets, sign and words "(Salary, Allowances and Pension of Members)" shall be substituted.

Amendment of long title of Haryana Act 2 of 1975.

3. In the short title of the principal Act, for the brackets and words "(Allowances and Pension of Members)", the brackets, sign and words "(Salary, Allowances and Pension of Members)" shall be substituted.

Insertion of section 2A in Haryana Act 2 of 1975.

4. After section 2 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"**2A. Salary.**— There shall be paid to each member a salary of ten thousand rupees per mensum.".

Amendment of section 3A of Haryana Act 2 of 1975.

5. In section 3A of the principal Act, for the words "fifteen thousand rupees", the words "twenty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 3B of Haryana Act 2 of 1975.

6. In section 3B of the principal Act, for the words "three thousand rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 3C of Haryana Act 2 of 1975.

7. In section 3C of the principal Act, for the words "two thousand five hundred rupees", the words "five thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 3D of Haryana Act 2 of 1975.

8. In section 3D of the principal Act, for the words, signs and figures "Rs. 5,000/-", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 4 of Haryana Act 2 of 1975.

9. In sub-section (1) of section 4 of the principal Act, for the words "twenty thousand rupees", the words "forty thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 5 of Haryana Act 2 of 1975.

10. In sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "one thousand five hundred rupees" shall be substituted.

Amendment of section 7A of Haryana Act 2 of 1975.

11. In sub-section (1) of section 7 A of the principal Act, for the words "five thousand rupees", the words "seven thousand five hundred rupees" shall be substituted.

Insertion of section 8A in Haryana Act 2 of 1975.

12. In the principal Act, after section 8, the following section shall be inserted, namely:—

"**8A. Recovery of Government dues.**— If any person to whom any amount is admissible under this Act, has not paid to the State Government any amount payable by him on account of any facility provided to him by the State Government in his capacity as a Minister, Leader of Opposition,

Speaker, Deputy Minister, Deputy Speaker, Chief Parliamentary Secretary, Parliamentary Secretary or Member, then notwithstanding anything contrary contained in the sanction letter, agreement or mortgage deed, the amount so due from him, may be recovered from the amount admissible to him under this Act and if no amount is admissible or the amount so admissible is insufficient, in that case, the amount so due, shall be recovered from him or his legal representatives as arrears of land revenue.

Explanation.— For the purposes of this section, the word "facility" means facility of whatever nature and includes house/flat building/purchase advance, motor car advance, medical advance, rent of Government accommodation, State car, telephone/mobile phone or hospitality charges given under the provisions of the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975 (2 of 1975), the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979 (9 of 1979), the Haryana Salaries and Allowances of Minister Act, 1970 (3 of 1970), the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975 (3 of 1975) and the Haryana Legislative Assembly (Medical Facilities to Members) Act, 1986 (19 of 1986) and rules made thereunder or instructions issued, from time to time.".

Repeal and saving.

13. (1) The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Ordinance, 2010 (Haryana Ordinance No. 11 of 2010), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Some allowances of the Members of Legislative Assembly and salary of the Leader of the Opposition which are being provided under the provisions of 'The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act 1975' were enhanced more than two years ago. Keeping in the view the rise in cost of living and to deal with the problems of general public in the Constituency, the Government has decided to enhance the Constituency Allowance, Sumptuary Allowance, Office Allowance, Secretarial Allowance, Daily Allowance and Pension of Ex-MLAs. Salary of Leader of Opposition is also being enhanced. Further it has also been decided to insert a new provision for providing the salary to the Member of Legislative Assembly.

At present some facilities in the nature of House Building Advance / Motor Car Advance/ Rent of Government accommodation/medical advance/State Car/ Telephone/Mobile phones and hospitality charges are being provided to the MLAs/Ministers/Speaker/Deputy Speaker/Leader of Opposition/Deputy Ministers/ Chief Parliamentary Secretaries by the Government under various Acts/ Rules/Instructions. In some cases the recoverable amount, which is due on account of any facility provided by the Government, can not be recovered from the amount of allowances/pension admissible to him, in that position, it has been decided to make provision in The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1975 by inserting a new Section 8A after Section 8.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recomended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh : SUMIT KUMAR,
The 24th February, 2011 Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed enhancement of salary of Leader of Opposition, insertion of a new provision of salary to MLAs and enhancement of allowances will entail an extra expenditure of Rs.1,80,84,000/- per year on the State Exchequer is detailed as under:—

1. Salary of Leader of Opposition Rs. 20000/-to Rs. 40000/- p.m.	Rs. 2,40,000/- Per year
2. Salary of Member of Legislative Assembly (61 MLAs) Rs. 10,000/-p.m.	Rs.73,20, 000/- Per year
3. Constituency Allowance from Rs.15000/-to Rs. 20000/-p.m. (All 90 MLAs)	Rs. 54,00,000/- Per year
4. Sumptuary Allowance of MLAs Rs. 3000/-to Rs. 5000/-p.m. (61 MLAs)	Rs.14,64,000/- Per year
5. Secretarial Allowance of MLAs Rs. 5000/-to Rs.10000/-p.m. (61 MLAs).	Rs. 36,60,000/- Per year

However, the expenditure by enhancing the Daily Allowance of MLAs, and pension of Ex-MLAs can not be calculated.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2011 का विधेयक संख्या 1-एच० एल० ए०

हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) संशोधन विधेयक, 2011

**हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन)
अधिनियम, 1975, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2011, कहा जा सकता है।

(2) इस अधिनियम की धारा 12 के उपबंध तुरंत लागू होंगे तथा इस अधिनियम के शेष उपबंध 7 सितम्बर, 2010 से लागू हुए समझे जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 के दीर्घ शीर्ष का संशोधन।

2. हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) के दीर्घ शीर्ष में, "(सदस्य भत्ता तथा पेंशन)" कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, "(सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन)" कोष्ठक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 के संक्षिप्त शीर्ष का संशोधन।

3. मूल अधिनियम के संक्षिप्त शीर्ष में, "(सदस्य भत्ता तथा पेंशन)" कोष्ठकों तथा शब्दों के स्थान पर, "(सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन)" कोष्ठक, चिह्न तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 में धारा 2क का रखा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**2क. वेतन.**—प्रत्येक सदस्य को प्रतिमास दस हजार रुपये के वेतन का भुगतान किया जाएगा।"।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3क का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 3क में, "पन्द्रह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ख का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 3ख में, "तीन हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3ग का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 3ग में, "दो हजार पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. मूल अधिनियम की धारा 3घ में, "5,000/- रुपये" अंकों, चिह्नों तथा शब्दों के स्थान पर, "दस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3घ का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) में, "बीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "चालीस हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 4 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) में, "एक हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार पांच सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 7क की उप-धारा (1) में, "पांच हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर, "सात हजार पांच सौ रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 7क का संशोधन।

12. मूल अधिनियम में, धारा 8 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1975 के हरियाणा अधिनियम 2 में धारा 8क का रखा जाना।

"**8क. सरकारी देयों की वसूली.**— यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई धनराशि अनुज्ञेय है, राज्य सरकार द्वारा उसको उसके मंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, अध्यक्ष, उप मंत्री, उपाध्यक्ष, मुख्य संसदीय सचिव, संसदीय सचिव या सदस्य की हैसियत में उपलब्ध किसी सुविधा के कारण उस द्वारा भुगतानयोग्य कोई धनराशि राज्य सरकार को भुगतान नहीं की गई है, तो स्वीकृति पत्र, करार या बन्धक विलेख में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, उससे इस प्रकार देय धनराशि, इस अधिनियम के अधीन उसको अनुज्ञेय धनराशि से वसूली जाएगी तथा यदि कोई भी धनराशि अनुज्ञेय नहीं है या इस प्रकार अनुज्ञेय धनराशि अपर्याप्त है, उस दशा में, इस प्रकार देय धनराशि, भू-राजस्व के बकायों के रूप में उससे या उसके विधिक प्रतिनिधियों से वसूली जाएगी।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, "सुविधा" शब्द से अभिप्राय है हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) अधिनियम, 1975 (1975 का 2), हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) अधिनियम, 1979 (1979 का 9), हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970 (1970 का 3), हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता अधिनियम, 1975 (1975 का 3) तथा हरियाणा विधान सभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) अधिनियम, 1986 (1986 का 19) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या समय-समय पर जारी अनुदेशों के उपबंधों के अधीन दी गई किसी भी स्वरूप की सुविधा तथा इसमें शामिल है गृह/फ्लैट निर्माण/क्रय अग्रिम, मोटर कार अग्रिम, चिकित्सा अग्रिम, सरकारी आवास का किराया, राज्य कार, टैलीफोन/मोबाइल फोन या सत्कार प्रभार।"।

13. (1) हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता तथा पेंशन) संशोधन अध्यादेश, 2010 (2010 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 11), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1975 में प्रावधानानुसार नेता प्रतिपक्ष व विधान सभा सदस्यों के कुछ भत्ते दो वर्ष से अधिक अवधि से पूर्व बढ़ाए गए थे। जीवनपयोगी वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण राज्य सरकार ने नेता प्रतिपक्ष व विधान सभा सदस्यों के विधान सभा क्षेत्र भत्ता, सत्कार भत्ता, कार्यालय भत्ता, सचिवीय भत्ता तथा दैनिक भत्ता व भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। नेता प्रतिपक्ष के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त विधान सभा सदस्यों को वेतन प्रदान करने हेतु भी नया प्रावधान जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

इस समय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा/मुख्य मंत्री/मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/मुख्य संसदीय सचिवों/नेता प्रतिपक्ष व विधान सभा सदस्यों को गृह निर्माण/मोटर ऋण/मकान आवासीय किराया/चिकित्सा अनुदान/सरकारी कार/टैलीफोन/मोबाईल फोन व सत्कार भत्ता विभिन्न अधिनियमों/ नियमों/हिदायतों के प्रावधानानुसार प्रदान किया जा रहा है। कई मामलों में सदस्यों से सरकार द्वारा प्रदान की गई उक्त ऋणों की वसूली का भुगतान उन्हें देय भत्तों/पेंशन से नहीं किया जा सकता। उस स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 8 के उपरान्त धारा 8क का प्रावधान जोड़ा जाए।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :
24 फरवरी, 2011

सुमित कुमार,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

नेता प्रतिपक्ष की प्रस्तावित वेतन वृद्धि, विधान सभा सदस्यों को वेतन प्रदान करने के नए प्रस्तावित प्रावधान व उनके भत्तों की वृद्धि के फलस्वरूप राज्य के खजाने पर नीचे दर्शाए ब्यौरे अनुसार 1,80,84,000/- रु० प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार पड़ेगा :—

1. नेता प्रतिपक्ष का वेतन रु० 20,000/- से 40,000/- रु० प्रतिमाह करने पर	रु० 2,40,000/- प्रति वर्ष
2. विधान सभा सदस्यों को 10,000/- रु० प्रति माह वेतन देने पर (61 सदस्यों को)	रु० 73,20,000/- प्रति वर्ष
3. विधान सभा क्षेत्र भत्ता 15,000/- रु० से 20,000/- रु० प्रतिमास करने पर (सभी 90 सदस्यों को)	रु० 54,00,000/- प्रति वर्ष
4. सत्कार भत्ता 3,000/- रु० से 5,000/- रु० प्रतिमास करने पर (61 सदस्यों को)	रु० 14,64,000/- प्रति वर्ष
5. सचिवीय भत्ता 5,000/- रु० से 10,000/- रु० प्रतिमास करने पर (61 सदस्यों को)	रु० 36,60,000/- प्रति वर्ष

जबकि, विधान सभा सदस्यों का बढ़ाया जाने वाला दैनिक भत्ता व भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन में बढोतरी के कारण आने वाले अतिरिक्त खर्च की गणना नहीं की जा सकती।

48331—H.V.S.—H.G.P., Chd.